रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

DG/NIA/MHA
New Delhi
ADG
14/Admn)

सं. 305] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 26, 2012/आषाढ़ 5, 1934

No. 305] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 26, 2012/ASADHA 5, 1934

गृह मंत्रालय

(आंतरिक सुरक्षा खंड-I प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जून, 2012

सा.का.नि. 502(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गृह मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण में समूह 'क' और समूह 'ख' पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (समूह 'क' और समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2012 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. लागू होना.—ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में उल्लिखित पद को लागू होंगे ।

3. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि.—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

5. आरंभिक गठन.—उक्त अनुसूची में उल्लिखित पदों के ऐसे पदधारी, जो इन नियमों के प्रारंभ की तारीख को नियमित आधार पर पद धारण कर रहे हैं, इन नियमों के अधीन नियुक्त किए गए समझे जाएंगे और उक्त प्रारंभ से पूर्व नियमित आधार पर उक्त पद पर उनके द्वारा की गई सेवा अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिये उनकी पात्रता का विनिश्चय करने के लिए हिसाब में ली जाएगी ।

6. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

Read by

7. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

8. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. महा निदेशक	1* (2012) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, (अननुसचिवीय)	80,000 रु. (नियत)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाले रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(10)	(11)
प्रतिनियुक्ति द्वारा	**प्रतिनियुक्ति :** भारतीय पुलिस सेवा के ऐसे अधिकारी जिनका केन्द्रीय सरकार के अधीन पुलिस महा निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए अनुमोदन हुआ है । **टिप्पण 1 :** भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, 1954 के अनुसार वेतन और भत्ते प्राप्त करेंगे । **टिप्पण 2 :** भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति समय-समय पर यथा संशोधित प्रतिनियुक्ति से संबंधित गृह मंत्रालय के अनुदेशों या आदेशों के निबंधनानुसार विनियमित की जाएगी ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
लागू नहीं होता	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. अपर महा निदेशक	1* (2012) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय	उच्चतर प्रशासनिक ग्रेड (उ.प्र.ग्रे.) 67000–79000 रुपए	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(10)	(11)
प्रतिनियुक्ति द्वारा	भारतीय पुलिस सेवा के ऐसे अधिकारी जिनका केन्द्रीय सरकार के अधीन अपर पुलिस महा निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए अनुमोदन हुआ है । **टिप्पण 1 :** भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, 1954 के अनुसार वेतन और भत्ते प्राप्त करेंगे । **टिप्पण 2 :** भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति समय-समय पर यथा संशोधित प्रतिनियुक्ति से संबंधित गृह मंत्रालय के अनुदेशों या आदेशों के निबंधनानुसार विनियमित की जाएगी ।

(12)	(13)
लागू नहीं होता	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है ।

[फा. सं. 21011/1/2010–आईएस–I (iv)]

धर्मेन्द्र शर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Internal Security-I Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th June, 2012

G.S.R. 502(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the Group 'A' and Group 'B' posts in the National Investigation Agency under the Ministry of Home Affairs, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, National Investigation Agency (Group 'A' and 'B' Posts) Recruitment Rules, 2012.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**—These rules shall apply to the post mentioned in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of posts, classification and Pay Band and Grade Pay or scale of pay.**—The number of posts, their classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in the columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

4. **Method of recruitment, age-limit and other qualifications etc.**—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

5. **Initial Constitution.**—The incumbents of the posts mentioned in the said Schedule who on the date of commencement of these rules are holding the post on regular basis shall be deemed to have been appointed under these rules and the service rendered by them in the said post on regular basis before the said commencement shall be taken into account for deciding their eligibility for promotion to the next higher grade.

6. **Disqualification.**—No person,—

(a) Who has entered into or contracted a marriage with person having a spouse living; or

(b) Who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this rule.

7. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with Union Public Service Commission (UPSC) relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

8. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of Post	Classification	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Director General	01* (2012) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service (GCS), Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial	80000 (Fixed)	Not applicable	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made
(10)	(11)
By DeputationD	**eputation :** Officers of the Indian Police Service who have been approved for appointment as Director General of Police under the Central Government. **Note 1 :** The Indian Police Service Officers shall draw pay and allowances as per Indian Police Service (Pay) Rules, 1954. **Note 2 :** Deputation of Indian Police Service Officers shall be regulated in terms of the Instructions or Orders of the Ministry of Home Affairs relating to the Deputation as amended from time to time.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Not applicable	Consultation with UPSC not necessary.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Additional Director General	01* (2012) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service (GCS), Group 'A', G Gazetted, Non-Ministerial	Higher Administrative rade (HAG) Rs. 67000-79000.	Not applicable	Not applicable

(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

(10)	(11)
By Deputation	**Deputation :** Officers of the Indian Police Service who have been approved for appointment as Additional Director General of Police under the Central Government. **Note 1 :** Indian Police Service Officers shall draw pay and allowances as per Indian Police Service (Pay) Rules, 1954. **Note 2 :** Deputation of Indian Police Service Officers shall be regulated in terms of the Instructions/Orders of the Ministry of Home Affairs relating to the Deputation as amended from time to time.

(12)	(13)
Not applicable	Consultation with UPSC not necessary.

[F. No. 21011/1/2010-IS-I (IV)]

DHARMENDRA SHARMA, Jt. Secy.

2315 GI)12-2

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.